UPMZ010071802025

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या–01, मुजफ्फरनगर।

पीठासीन अधिकारी :– विष्णु चन्द्र वैश्य, उच्चतर न्यायिक सेवा – UP06126

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–256 सन् 2025

1. दिनेश वर्मा पुत्र गिरिश वर्मा,
2. गिरिश वर्मा पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द वर्मा,
   निवासीगण ए/23 धीरज ब्लॉक गली नं0–4 साउथ, गणेशनगर, दिल्ली, लक्ष्मीनगर, पूर्वी दिल्ली।

.... पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण,

बनाम

श्रीमति सपना पुत्री नरेन्द्र निवासी शाहदरा गली नं0–2 बलबीर नगर, शाहदरा, हाल – 264 इन्द्रा कॉलोनी, थाना सिविल लाईन, मुजफ्फरनगर।

.... विपक्षी/परिवादिया,

निर्णय

1. पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से प्रश्नगत दाण्डिक पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–438 बी.एन.एस.एस., विद्वान अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट संख्या–02 मुजफ्फरनगर द्वारा परिवाद संख्या–15757 सन् 2024 'सपना बनाम दिनेश वर्मा आदि' थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर के प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण को धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तलब किए जाने हेतु पारित आदेश दिनांकित 05.06.2025 के विरूद्ध संस्थित किया गया है।

2. विपक्षी/परिवादिया की ओर से पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद–पत्र में किए गए कथन संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनेश वर्मा पुत्र गिरीश वर्मा निवासी ए./23 धीरज ब्लाक, गली नं0–4 लक्ष्मीनगर साउथ गणेशनगर, पूर्वी दिल्ली–110092 के साथ दिनांक 16–05–2023 को हुई प्रार्थीया की शादी में प्रार्थीया के माता–पिता ने करीब बारह लाख रूपये खर्च करके काफी स्त्रीधन दिनेश वर्मा व उसके परिवारवालों को दिया था, परन्तु शादी के 15 दिन बाद ही प्रार्थीया के पति दिनेश वर्मा, जेठ पवन वर्मा, जेठानी नीतू, ससुर गिरीश

Digitally signed by VISHNU CHANDRA VAISH
Date: 2026.06.18 17:53:03 IST
Reason: Judgment
Location: ASJ 01

वर्मा, सास अनीता प्रार्थीया की शादी मे दिये गये सामान (स्त्रीधन) से सन्तुष्ट नहीं हुए और कम दहेज लाने के ताने देने लगे और वे लोग अतिरिक्त दहेज में प्रार्थीया से दो लाख रूपये नकद व एक पल्सर मोटरसाईकिल की मांग को लेकर प्रार्थीया को गाली गलौच कर तरह–तरह से तंग व परेशान करने लगे, जब प्रार्थीया ने अपनी ससुरालवालो से अपने परिवारवालों द्वारा उन्हें पहले ही काफी कुछ दिए जाने तथा अब उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं होने की बात कहने पर उसके ससुरालवाले प्रार्थीया को और भी ज्यादा तंग व परेशान करने लगे। दिनांक 17–07–2023 को प्रार्थीया के बीमार होने पर प्रार्थीया ने अपने पति दिनेश वर्मा को डाक्टर को दिखाने के लिए कहा तो उन्होनें प्रार्थीया को डाक्टर को नही दिखाया और वे लोग प्रार्थीया के साथ मारपीट कर उसे उसके मायके में छोड गये तथा उसके बाद कुछ रिश्तेदारो के समझाने बुझाने पर अपनी गलती की माफी मांगकर और प्रार्थीया को आगे से तंग व परेशान न करने तथा अतिरिक्त दहेज की मांग न करने का वायदा करके प्रार्थीया को अपने साथ ले गये। कुछ दिन ठीक रहने के बाद प्रार्थीया के ससुरालवालों ने पुनः अपनी वही पुरानी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रार्थीया को गाली गलौच व मारपीट करके तंग व परेशान करना शुरू कर दिया और उन्होने प्रार्थीया को कमरे मे बन्द करके कई–कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा। दिनांक 19–03–2024 को प्रार्थीया की ससुरालवालों ने फिर वही अतिरिक्त दहेज की मांग दोहराते हुए प्रार्थीया को गालीगलौच व मारपीट करके अपने घर से निकाल दिया उसके एक सप्ताह बाद प्रार्थीया को उसके मामा अपने घर मुजफ्फरनगर ले आये थे, तब से प्रार्थीया अपने मामा के पास ही रह रही है। दिनांक 10–04–2024 को समय करीब दो बजे दिन प्रार्थीया के पति दिनेश वर्मा, जेठ पवन वर्मा, जेठानी नीतू ससुर गिरिश वर्मा, सास अनीता एक गाडी में बैठकर प्रार्थीया के मामा के घर पर मुजफ्फरनगर आये और आते ही उन्होनें प्रार्थीया से कहा कि तू यहां बैठ गयी तूने अभी तक हमारी अतिरिक्त दहेज की मांग को पूरा नहीं किया है और यह कहते हुए प्रार्थीया को गन्दी गन्दी गालियां देते हुए लात, मुक्को, घूस्सो से मारना पीटना शुरू कर दिया शोर की आवाज सुनकर प्रार्थीया के मामा मनोज पुत्र रामशरण वर्मा, सुभाष पुत्र सेवाराम, उर्मिला पत्नी नरेन्द्र वर्मा तथा भूपेश कुमार पुत्र सेवाराम आदि कई लोग आ गये, जिन्होनें उन लोगो से प्रार्थीया की जान बचायी। जाते समय वे लोग

धमकी देकर गये कि अगर तूने जल्दी से हमारी मांग को पूरा नही किया तो हम तुझे जान से मार देंगे या तेरा ऐसा इलाज कर देंगे कि तू जिन्दगी भर याद रखेगी।

3. विपक्षी/परिवादिया की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में स्वयं का बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. तथा धारा 225 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत मनोज, सुभाष तथा उर्मिला के बयान लेखबद्ध कराए गए।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने पारित आलोच्य आदेश में निष्कर्षित किया है कि ''....... परिवादिया के बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. के अवलोकन से विदित है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट, गालीगलौच कर उसे घ ार से निकाल दिया गया। परिवादिया द्वारा अपने बयानों में विपक्षीगण द्वारा दहेज मांगने का कथन किया है, दहेज में दो लाख रूपए व बाईक मांगने का कथन किया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि तलबी के स्तर पर न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला देखना होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण पति दिनेश, ससुर गिरीश वर्मा, सास अनीता वर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना प्रतीत होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विपक्षीगण पवन वर्मा, नीतू वर्मा द्वारा कोई अपराध परिवादिया के साथ करना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण पति दिनेश, ससुर गिरीश वर्मा, सास अनीता वर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना प्रतीत होता है। ....'' उपरोक्त के अनुक्रम में, पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण दिनेश व गिरीश वर्मा तथा एक अन्य अभियुक्ता अनीता वर्मा को धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तलब किए जाने हेतु आदेश दिनांकित 05.06.2025 पारित किया है।

5. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण को धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तलब किए जाने हेतु पुनरीक्षण हाजा से आच्छादित प्रश्नगत आदेश दिनांकित

05.06.2025 से क्षुब्ध होकर दाण्डिक पुनरीक्षण योजित किया गया है।

6. पुनरीक्षणकर्तागण / अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में किए गए संक्षिप्तः कथन इस प्रकार हैं कि अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 05.06.2025 विधि विरूद्ध है। अवर न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश पारित करते समय न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया है तथा पत्रावली का भली भाति अवलोकन नही किया है। वादिया दिनेश वर्मा की विवाहित पत्नी नहीं है, उसकी शादी विशाल वर्मा पुत्र सोनपाल वर्मा निवासी मं०न0—574 तिवडा रोड स्टेशन के पास मोदीनगर जिला गाजियाबाद के साथ वर्ष 2019 मे हुई थी और वह उसकी विवाहित पत्नी है तथा उसका विशाल से अभी तक कोई विधिक तलाक नही हुआ है। वादिया निगरानीकर्ता के साथ "लिव इन रिलेशन" में रही है। सामाजिक रूप से वादिया से कोई शादी सप्तपदी आदि रीति रिवाज के अनुसार नही हुई है। दहेज मांगने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। वादिया के माता पिता परिवार सहित अपने निजी मकान करावल नगर मे रहते थे जो अब बलबीर नगर शाहदरा गली नं0—2 मे किराये के मकान मे रहते है। लिव इन रिलेशन में रहते वादिया द्वारा मकान खरीदने के लिए पैसो के लिए निगरानीकर्ता पर नाजायज दबाव बनाने के उददेश्य से वाद उपरोक्त झूठा दायर किया गया है। वादिया उसके घर वाले बेहद् चालाक व लालची किस्म के है और निगरानीकर्तागण से नाजायज पैसा ऐंठने की साजिश में लिप्त है तथा उसने निगरानीकर्ता से अपने लिये घर खरीदने के लिए पैसे की मांग की और बार बार निगरानीकर्ता के माता पिता पर जबदस्ती रूपये और अपने लिए जेवरात लेने के लिए नाजायज दबाव बनाया और न देने पर मारपीट किया और झूठे मुकदमे मे फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी और क्रूरता का व्यवहार किया। निगरानीकर्ता दिनेश वर्मा के माता पिता आयु करीब 67 वर्ष "सिनियर सिटीजन" है और मॉ शुगर व ब्लड प्रेसर की मरीज है दिनांक 09.02.2024 को वादिया द्वारा निगरानीकर्तागण की माँ के साथ पैसे मांगने के लिए मारपीट करने से उसकी हालत बिगड़ने पर उसे "कडकडडूमा अस्पताल' मे भर्ती कराना पडा और उसके दोस्त निखिल ने निगरानीकर्तागण को रूपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी। दिनांक 19.02.2024 को निगरानीकर्ता की माँ को रूपये के लिए प्रताडित करने, घर का सामान तोड़ने और जबरदस्ती निगरानीकर्ता का मकान अपने नाम कराने की धमकी देने से

निगरानीकर्ता की माँ अचला वर्मा की हालत गम्भीर हो होने पर लोक नारायण अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराने ले जाने का लाभ उठाकर वादिया करीब 9 बजे रात निगरानीकर्तागण के घर से कीमती कपडे व माता के जेवरात तीन सोने अगूंठी, मंगलसूत्र, पाजेब आदि लेकर अपने घर बलबीर नगर शाहदरा चली गयी। वादिया ने निगरानीकर्ता दिनेश वर्मा के साथ ''लिव इन रिलेशन" में रहकर योजनाबद्ध तरीके से रूपये ऐंठने के लिए क्रूरता का व्यवहार करके उसका उत्पीडन व नाजायज दबाव बनाने के लिए जिला मुजफ्फरनगर में झूठा वाद योजित किया है, जबकि वह दिल्ली शाहदरा की रहने वाली है। उसने बिना क्षेत्राधिकार के झूठा वाद दायर किया है। निगरानीकर्तागण द्वारा वादिया के साथ कभी उसके मामा के घर कोई मारपीट नही की गयी न ऐसी कोई घटना हुई। वादिया द्वारा कोई डॉक्टरी रिपोर्ट भी दाखिल नही की गयी, इस तथ्य पर भी अवर न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नही है। निगरानी जानकारी के समय से अन्दर मियाद है और न्यायालय के क्षेत्रधिकार मे है। इस प्रकार निगरानीकर्तागण/अभियुक्त द्वारा निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.06.2025 निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

7. विपक्षी/परिवादिया की ओर से **आपत्ति–13ख** प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता ने निगरानी उपरोक्त कतई गलत तथ्यों एवं कथनों के आधार पर प्रस्तुत की है। जो अवर न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली–भाँति अवलोकन करके न्यायिक विवेक के आधार पर पारित आदेश दिनांकित 05–06–2025 कतई विधिसम्मत है। घटना अवर न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मौहल्ला इन्द्रा कालोनी थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर में हुई है। प्रतिवादिया निगरानीकर्ता की विवाहिता पत्नी है। उसके पूर्व में विशाल वर्मा पुत्र सोहनपाल वर्मा निवासी तिवडा रोड स्टेशन के पास मोदीनगर जिला गाजियाबाद के साथ हुए विवाह का विच्छेद होने के बाद प्रतिवादिया की निगरानीकर्ता के साथ शादी हुई थी तथा उसके पूर्व पति विशाल वर्मा ने भी अपनी दूसरी शादी दिनांक 28–03–2024 को अन्नू पुत्री राजेन्द्र वर्मा निवासी 1306 नन्दनगरी मोदीनगर जिला गाजियाबाद के साथ कर ली थी, जिसके पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति आपत्ति के साथ संलग्न अनैक्चर–1 है।

प्रतिवादिया की दिनांक 16–05–2023 को निगरानीकर्ता के साथ सभी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई है प्रतिवादिया निगरानीकर्ता के साथ 'लिव इन रिलेशनशिप' में कभी नहीं रही है। प्रतिवादिया की शादी व करवाचौथ त्यौहार के फोटोग्राफ्स व प्रतिवादिया व निगरानीकर्ता की शादी के लिए निगरानीकर्ता के रिश्तेदार मुकेश वर्मा द्वारा बुक की गयी अजपीठ देव स्वर्ण कार ट्रस्ट की रसीद तथा भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र तथा आधार कार्ड की छाया प्रतियां इस आपत्ति के साथ संलग्न अनैक्चर है। प्रतिवादिया ने कोई मकान खरीद करने के लिए निगरानीकर्ता से कोई पैसों की मांग नहीं की है। निगरानीकर्ता व उसके परिवारवालो द्वारा प्रतिवादिया को दिनांक 19–03–2024 को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण गाली–गलौच य मारपीट करके अपने घर से निकाल दिए जाने के एक सप्ताह बाद से वह अपने मामा के पास इन्द्रा कालोनी थाना सिविल लाईन जिला मुजफ्फरनगर में रह रही है। प्रतिवादिया ने सही कथनो एवं तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता व उसके परिवारवालो के खिलाफ अवर न्यायालय में वाद दायर किया है। प्रतिवादिया ने निगरानीकर्ता से किसी भी बाबत कोई रूपयो की मांग नही की और न ही किसी तरह की कोई धमकी दी और न ही निगरानीकर्ता की माता के साथ कोई मारपीट कर उसे प्रताडित ही किया निगरानीकर्ता व उसके परिवारवालों ने प्रतिवादिया को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने के कारण दिनांक 19–03–2024 को गाली गलौच कर केवल पहने हुए कपडो मे अपने घर से निकालने पर उसका समस्त स्त्रीधन निगरानीकर्ता व उसके परिवारवालो के कब्जे में है। घटना के समय मौके पर आए उसके मामा मनोज कुमार पडोसी सुभाष पुत्र सेवाराम, उर्मिला पत्नी नरेन्द्र वर्मा, भूपेश कुमार पुत्र सेवाराम आदि कई लोगों ने इस घटना को देखा जो स्वतन्त्र साक्षी है। अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 05–06–2025 में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर निगरानीकर्ता व उसके परिवारवालो को तलब किया है। इस प्रकार उपरोक्त कारणों के आधार पर निगरानी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

8. पुनरीक्षणकर्तागण / अभियुक्तगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में आलोच्य आदेश दिनांकित 05.06.2025 की सत्यापित प्रतिलिपि का0सं0–4ख / 1 व 4ख / 4, दिनेश वर्मा के शपथपत्र–5ख / 1 ता 5ख / 3 के साथ इलाज कराए जाने

के पर्चों की छायाप्रति 5ख/6 व 5ख/7, दिनेश वर्मा के शपथपत्र–10ख/1 व 10ख/2 के साथ एनेक्चर–1 के रूप में सपना के आधारकार्ड की छायाप्रति 10ख/4, एनेक्चर–2 के रूप में रेस्टोरेन्ट के फोटो की छायाप्रति 10ख/5, एनेक्चर–3 के रूप में शादी के फोटो की छायाप्रति 10ख/6, एनेक्चर–4 के रूप में विशाल वर्मा पुत्र सोहनपाल सिंह द्वारा दिए गए शपथपत्र की छायाप्रति 10ख/7 व 10ख/8 प्रस्तुत किए गए हैं।

9. विपक्षी सपना की ओर से अपने समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य में शपथपत्र–14ख के साथ विशाल वर्मा के साथ हुए विवाह के प्रमाण–पत्र की छायाप्रति 14ख/3, 03 किता फोटोग्राफ्स 14ख/4, दो किता फोटोग्राफ्स 14ख/5 व 08 किता अन्य फोटोग्राफ्स, विवाह समारोह स्थल की रसीद, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र एवं आधारकार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं।

10. निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी/परिवादिया की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा विद्वान विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली व दाण्डिक पुनरीक्षण पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

11. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि पुनरीक्षणकर्ता/परिवादिया की ओर से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण को धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तलब किए जाने हेतु पारित आदेश दिनांकित 05.06.2025 के विरूद्ध दाण्डिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी/परिवादिया की ओर से प्रस्तुत परिवाद–पत्र में पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण दिनेश वर्मा व गिरीश वर्मा क्रमशः अपने पति व ससुर तथा अन्य विपक्षीगण पवन वर्मा, श्रीमति नीतू और श्रीमति अनीता पर स्वयं की शादी दिनेश वर्मा के साथ होने के पश्चात् स्वयं को अतिरिक्त दहेज हेतु प्रताड़ित कर मारपीट करने तथा दो लाख रूपए नकद व एक पल्सर मोटरसाईकिल के रूप में अतिरिक्त दहेज की मांग करने का कथन किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षी/परिवादिया का बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. एवं उसकी ओर से धारा 225 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत परीक्षित कराए गए साक्षीगण मनोज, सुभाष तथा उर्मिला के बयानों के आधार पर

विपक्षीगण पवन वर्मा व नीतू वर्मा द्वारा परिवादिया के साथ कोई अपराध कारित किया जाना परिलक्षित न होना पाते हुए पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण दिनेश, गिरीश वर्मा तथा अनीता वर्मा को धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत विचारण के लिए तलब करने हेतु पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 05.06.2025 में दिए गए निष्कर्षानुसार, परिवादिया के बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. के अवलोकन से विदित है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ मारपीट, गालीगलौच कर उसे घर से निकाल दिया गया। परिवादिया द्वारा अपने बयानों में विपक्षीगण द्वारा दहेज मांगने का कथन किया है, दहेज में दो लाख रूपए व बाईक मांगने का कथन किया है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि तलबी के स्तर पर न्यायालय को प्रथम दृष्टया मामला देखना होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण पति दिनेश, ससुर गिरीश वर्मा, सास अनीता वर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना प्रतीत होता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विपक्षीगण पवन वर्मा, नीतू वर्मा द्वारा कोई अपराध परिवादिया के साथ करना प्रथम दृष्टया परिलक्षित नहीं होता है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण पति दिनेश, ससुर गिरीश वर्मा, सास अनीता वर्मा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध बनना प्रतीत होता है। इस प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय ने केवल पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त गिरीश वर्मा द्वारा विपक्षी/परिवादिया के साथ परिवाद–पत्र में दर्शित घटना कारित करने के संबंध में अपना कोई अभिमत नहीं दिया गया है, अपितु विपक्षी/परिवादया के पति दिनेश, ससुर गिरीश वर्मा एवं सास अनीता वर्मा द्वारा प्रथम दृष्टया अपराध कारित करना परिलक्षित होना पाते हुए उन्हें धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तलब किया गया है। विपक्षी/परिवादिया की ओर से प्रस्तुत परिवाद–पत्र एवं विपक्षी/परिवादिया का बयान अंतर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. एवं उसकी ओर से धारा 225 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत परीक्षित कराए गए साक्षीगण मनोज, सुभाष तथा उर्मिला के बयानों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा विपक्षी/परिवादिया को

दहेज प्रति प्रताड़ित करते हुए मारपीट करना, अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए विपक्षी/परिवादिया को पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण द्वारा घर से निकालना कहा गया है।

12. पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण द्वारा दाण्डिक पुनरीक्षण में यह कथन किया गया है कि वादिया विपक्षी दिनेश वर्मा की विवाहित पत्नी नहीं है। वादिया की शादी विशाल वर्मा पुत्र सोनपाल वर्मा निवासी मं०न0–574 तिवडा रोड स्टेशन के पास मोदीनगर जिला गाजियाबाद के साथ वर्ष 2019 मे हुई थी। और वादिया विशाल की विवाहित पत्नी है तथा वादिया को विशाल से अभी तक कोई विधिक तलाक नही हुआ है। वादिया निगरानीकर्ता के साथ "लिव इन रिलेशन" मे रही है। सामाजिक रूप से वादिया से कोई शादी सप्तपदी आदि रीति रिवाज के अनुसार नही हुई है। दहेज मांगने का कोई प्रश्न ही नही उठता है। इस संबंध में विपक्षी/परिवादिया द्वारा अपनी आपत्ति में कथन किया गया है कि प्रतिवादिया निगरानीकर्ता की विवाहिता पत्नी है। प्रतिवादिया की पूर्व में शादी विशाल वर्मा पुत्र सोहनपाल वर्मा निवासी तिवडा रोड स्टेशन के पास मोदीनगर जिला गाजियाबाद के साथ हुई थी जिससे प्रतिवादिया का विवाह विच्छेद हो गया था उसके बाद प्रतिवादिया की निगरानीकर्ता के साथ शादी हुई थी। इस प्रकार निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा विपक्षी/परिवादिया को दिनेश की विवाहित पत्नी नहीं होना कहा गया है, बल्कि विपक्षी/परिवादिया को स्वयं के साथ 'लिव इन रिलेशनशिप' में रहना कहा गया है। इसके विपरीत विपक्षी/परिवादिया द्वारा अपने पूर्व पति विशाल वर्मा से स्वयं का विवाह विच्छेद होना तथा स्वयं को दिनेश की विवाहित पत्नी होना कहा गया है, परंतु विपक्षी/परिवादिया द्वारा ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उसके द्वारा अपने पूर्व पति विशाल वर्मा से तलाक लिया गया हो। अपितु विपक्षी/परिवादिया द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्त दिनेश से स्वयं की शादी दिल्ली में होने के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति मय शपथपत्र में किए गए कथनों के समर्थन में, श्री अजमीढ़ देव स्वर्णकार ट्रस्ट, कैलाशनगर कॉलोनी, पूर्वी ज्योति नगर, लोनी रोड़, निकट ज्योति नर्सिंग होम, शाहदरा दिल्ली की रसीद तथा शादी के समय व बाद के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए गए हैं। उपरोक्त के खण्डन के संबंध में पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण की ओर से ऐसा कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विपक्षी/परिवादिया की पुनरीक्षणकर्ता/दिनेश के

साथ विवाह न हुआ हो। अतः वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि परिवाद संख्या–15757 सन् 2024 'सपना बनाम दिनेश वर्मा आदि' थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर के प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण को धारा–115(2), 85 बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत तलब किए जाने हेतु पारित आदेश दिनांकित 05.06.2025 विधिसम्मत है, जिसमें कोई अवैधता, अनियमितता, विवेकाधिकार या क्षेत्राधिकार का मनमाने व विद्वेषपूर्ण उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, फलस्वरूप प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्तागण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण सं0–256 सन् 2025, 'सपना बनाम दिनेश वर्मा आदि' निरस्त किया जाता है तथा विद्वान अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट संख्या–02 मुजफ्फरनगर द्वारा परिवाद संख्या–15757 सन् 2024 'सपना बनाम दिनेश वर्मा आदि' थाना सिविल लाईन मुजफ्फरनगर के प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता/अभियुक्तगण दिनेश तथा गिरीश वर्मा को तलब किए जाने हेतु पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 05.06.2025 की पुष्टि की जाती है।

तलबशुदा पत्रावली सहित इस आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को प्रेषित की जाए।

दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक :–18.06.2026

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर, सुनाया गया।

दिनांक :–18.06.2026

(विष्णु चन्द्र वैश्य)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–01 मुजफ्फरनगर।